न्यायालय – सत्र न्यायाधीश , सहारनपुर।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–682/2026

सरकार बनाम सफात

21.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद आवेदक/साजिद अली पुत्र अली हसन निवासी मौ0 रैदासपुर कस्बा बनत तहसील व जिला शामली की ओर से मु0अ0सं0–395/2025 धारा–115(2), 352, 103(1), 3(5) बी0एन0एस0 थाना नकुड जिला सहारनपुर के प्रकरण में थाना नकुड पर निरूद्ध वाहन ट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0–19 एच 1598 को उसके पक्ष में निर्मुक्त किये जाने हेतु इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उक्त प्रश्नगत महेन्द्र ट्रेक्टर का पंजीकृत स्वामी है और उक्त वाहन गुलशेर पुत्र कालू शाह को खेत पर काम करने हेतु दिया गया था। आवेदक का उपरोक्त मामले की घटना से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। वर्षा ऋतु में उक्त वाहन के थाना पर खडे रहने से उसके खराब होने की अंशका है। उपरोक्त आधारो पर आवेदक द्वारा प्रश्नगत ट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0–19 एच 1598 को उसके पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा सम्बन्धित थाना से आख्या तलब की गयी और थाना की आख्या कागज सं0–7ख के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादिया श्रीमती जरीफा की ओर से अभियुक्तगण सफात,बुटटा सिंह, गुलशेर, प्रवेज व इरफान द्वारा उसके पुत्र मुस्तकीम के साथ दिनांक 22.09.2025 को मारपीट कर ट्रेक्टर चढा कर उसके पुत्र मुस्तकीम की हत्या करने के सन्दर्भ में थाना नकड पर मु0अ0सं0–395/2025 धारा–115(2), 352, 103(1), 3(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया है और पत्रावली पर उपलब्ध थाना नकुड की आख्या कागज सं0–7ख के अनुसार प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0–19एच 1598 उपरोक्त मु0अ0सं0–395/2025 के माल मुकदमा के रूप में थाना पर निरूद्ध है। आवेदक द्वारा स्वॅय को प्रश्नगत ट्रेक्टर का स्वामी होना दर्शित करते हुए, उक्त वाहन को उसके पक्ष में निर्मुक्त किये जाने की याचना की गयी है। आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रश्नगत वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति कागज सं0–5ख दाखिल की गयी है जिसके अनुसार आवेदक प्रश्नगत ट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0–19एच 1598 का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है सम्बन्धित सत्र परीक्षण में अभी तक केवल अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन ही हो सका है, मामले में अभी साक्ष्य अंकित करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सत्र परीक्षण का शीघ्र निस्तारण होना सम्भव नहीं है और प्रश्नगत वाहन के थाना पर खडे रहने की स्थिति में उसके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुन्दरलाल बनाम अम्बा लाल देसाई ए.आई.आर.2003 एस0सी0–638** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक

में प्रश्नगत वाहन को वाहन के पंजीकृत स्वामी के पक्ष में मुक्त किये जाने में कोई विधिक अवरोध नहीं है। थाना पर उक्त वाहन के खडा होने पर न केवल उसकी क्षति होगी बल्कि उसका मूल्य ह्रास होगा। मु0अ0सं0–395/2025 जिस मामले के अन्तर्गत प्रश्नगत वाहन थाना पर निरूद्ध है के प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगण की जमानत भी स्वीकार हो चुकी है। मामले के तथ्य, परिस्थितियो एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक की ओर से प्रस्तुत वाहन निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक द्वारा अंकन–5,00,000/रूपये का बंध पत्र व इसी धनराशि का एक जमानती व इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि प्रश्नगत ट्रेक्टर किसी अन्य मामले में वान्छित नहीं है, प्रस्तुत करने पर प्रश्नगत वाहन ट्रेक्टर पंजीयन सं0–यू0पी0–19एच 1598 उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में निम्न शर्तो के अधीन अंतरिम रूप से निर्मुक्त किया जाता है–

1. आवेदक सम्बन्धित सत्र परीक्षण वाद के विचारण अवधि तक प्रश्नगत वाहन के रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, न ही उसे किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित करेगा।

2. न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर आवेदक प्रश्नगत वाहन को स्वॅय के खर्चे पर न्यायालय के समक्ष पेश करेगा।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।

23.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त राजकुमार की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि

पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1 सहारनपुर के न्यायालय से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होने की जानकारी के अभाव में नियत दिनांक को वह इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका था और उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी कर दिया गया है। अभियुक्त की ओर से प्रार्थनापत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि नियत दिनांक को वह अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1 सहारनपुर के न्यायायल में उपस्थित था। उसके द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत दिनांक 09.12.2024 को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त की ओर से नियत दिनांक पर अनुपस्थिति के सन्दर्भ में सन्तोष जनक एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन–एक लाख रूपये का बंध पत्र एवं इस आशय की अण्डर टेंकिग कि वह प्रत्येक नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा, दाखिल करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,

सहारनपुर।

23.12.2024

05.09.2025

आज यह पत्रावली अभियुक्त अजय कुमार उर्फ बंटी की ओर से प्रस्तुत वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र के साथ पेश हुई। प्रार्थनापत्र में अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि मजदूरी के लिए बाहर जाने के कारण नियत दिनांक को वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी करने का आदेश पारित किया गया है। वह अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट रिकाल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत दिनांक 16.07.2025 को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त की ओर से अनुपस्थिति का कारण मजदूरी के लिए बाहर जाना दर्शित करते हुए, उक्त त्रुटि के लिए क्षमा याचना की गयी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन—50,000 / रू0 का बंध पत्र एवं इस आशय की अन्डर टेकिंग कि भविष्य में इस मामले प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, प्रस्तुत करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट रिकाल किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,

सहारनपुर।

05.09.2025

15.07.2024

आज यह पत्रावली अभियुक्त नरेन्द्र की ओर से प्रस्तुत वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र के साथ पेश हुई। प्रार्थनापत्र में अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि मजदूरी के लिए बाहर जाने के कारण नियत दिनांक को वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी करने का आदेश पारित किया गया है। वह अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट रिकाल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नियत दिनांक 11.07.2024 को अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त की ओर से अनुपस्थिति का कारण मजदूरी के लिए बाहर जाना दर्शित करते हुए, उक्त त्रुटि के लिए क्षमा याचना की गयी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत वारण्ट रिकाल प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/रू0 का बंध पत्र एवं इस आशय की अन्डर टेकिंग कि भविष्य में इस मामले प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, प्रस्तुत करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट रिकाल किया जाता है।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,

सहारनपुर।

15.07.2024

17.11.2023

अभियुक्त राजेन्द्र की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह पूर्व में दाखिल जमानती सुभाष के स्थान पर दूसरा समीर प्रस्तुत करना चाहता है। सुना , पत्रावली एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को दूसरा जमानती प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

सत्र

न्यायाधीश,

सहारनपुर

।

17–11–2023

06.06.2024

अभियुक्त रजत की ओर से उसके विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मजदूरी के लिए देहरादून जाने के कारण वह नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था और उनकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन किया गया। आधार पर्याप्त है। प्रार्थी द्वारा अंकन–50,000/रू0 का बंध पत्र एवं इस आशय की अनण्डर टेकिंग दाखिल करने पर कि वह भविष्य में प्रत्येक नियत दिनांक पर उपस्थित रहेगे, प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट आदेश रिकाल किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,

सहारनपुर।

06.06.2024

29.04.2024

अभियुक्त सुन्दर लाल की ओर से उसके विरूद्ध जारी वारण्ट रिकाल करने हेतु प्रार्थनापत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि नियत दिनांक 12.03.2024 को उसके अधिवक्ता भूवश उसकी हाजरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये थे और प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध इस मामले में गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध 12.04.2024 से गैर जमानती वारण्ट जारी है। अभियुक्त की ओर से अनुपस्थित के सन्दर्भ में दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा अंकन–एक लाख रूपये का बंध पत्र तथा भविष्य में प्रत्येक नियत दिनांक पर वह उपस्थित रहेगा के सन्दर्भ में अण्डर टेकिंग दाखिल करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट आदेश रिकाल किया जाता है।

सत्र

न्यायाधीश,

सहारनपुर

।

29–04–2024

09.06.2023

प्रार्थनापत्र, प्रार्थी/अभियुक्त आलिम पुत्र जब्बार द्वारा उसके विरूद्ध जारी अजमानतीय वारंट को निरस्त/रिकाल कराये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि नियत दिनांक 24.04.2023 को मजदूरी के सिलसिले में बाहर जाने के कारण वह अपने अधिवक्ता को सूचना नहीं दे पाया था और नियत दिनांक पर उसकी अनुपस्थिति के करण न्यायालय द्वारा
प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध अजमानतीय वारण्ट जारी किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि नियत तिथि दिनांक 24.04. 2023 को प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उनके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किए गये है। अभियुक्त द्वारा मजदूरी के लिए बाहर जाने के कारण नियत दिनांक को न्यायालय में अनुपस्थित रहना बताया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। अनुपस्थिति के सन्दर्भ में दर्शाया गया आधार पर्याप्त हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा द्वारा अंकन–50,000/रू0 का बंध पत्र प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्व जारी अजमानतीय वारंट निरस्त किये जाये। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथियो पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

सत्र

न्यायाधीश,

सहारनपुर ।

09.06.2023

अभियुक्त योगेन्द्र की ओर से उसके विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि गलत तिथि नोट करने के कारण वह नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और उसकी अनुपस्थिति में गैर जमानती वारन्ट आदेश पारित हो गये है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व नियत तिथि
दिनांक 10.10.2022 को अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त वारन्ट आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि गलत तिथि नोट करने के कारण वह नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था जिस कारण उसके गैर जमानती वारण्ट जारी हो गये। समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आधार पर्याप्त है ।

अभियुक्त द्वारा 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र प्रस्तुत करने पर गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस वाद में नियत अग्रिम तिथियों पर उपस्थित रहें।

सत्र

न्यायाधीश,

सहारनपुर ।

18–10–2022

आदेश

17—04—2023

अभियुक्त सिन्धू त्यागी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सत्र परीक्षण सं0—1465／2020 सरकार बनाम सिन्धू त्यागी थाना कोतवाली देहात के प्रकरण में पारित निर्णय के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त के निवास स्थान का पता भलस्वाईसापुर थाना नागल लिखा है जबकि सही पता भगवती कालोनी बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर है। प्रथम पृष्ठ पर ही दूसरी पंक्ति में थाना कोतवाली नगर अंकित हो गया है जबकि थाना कोतवाली देहात है। इसके अतिरिक्त निर्णय के पृष्ठ सं0—11 पर तीसरी लाईन में सिस्टर इंन लॉ के स्थान पर बरदर इन लॉ अंकित होना है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से पारित निर्णय दिनांक 04.04.2023 में उपरोक्त आशय का संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पारित निर्णय दिनांकित 04.04.2023 का अवलोकन किया। प्रार्थनापात्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांकित 04.04.2023 में वान्छित संशोधन अंकित किया गया।

सत्र

न्यायाधीश,

सहारनपुर ।

17—04—2023

आदेश

30–09–2022

प्रार्थिया/अभियुक्ता सुरेशना पत्नी रूपचन्द की ओर से गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सत्र परीक्षण मे दिनांक 29.09.22 को हाजिर थी परन्तु न्यायालय द्वारा हुई पुकार को वह सुन न सकी तथा दो बजे प्रार्थिया हाजिर अदालत आयी तो जानकारी हुई है कि प्रार्थिया के विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानत वारण्ट के आदेश पारित कर दिये गये है। उसने न्यायालय हाजिर आने मे जानबूझकर गलती नही की है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 29.09.2022 को अभियुक्ता की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त वारन्ट आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा पुकार कराये जाने पर वह आवाज को सुन नही पाने के कारण न्यायालय में उपस्थिति न होने का कथन किया गया है। समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आधार पर्याप्त है ।

अभियुक्ता द्वारा 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र प्रस्तुत करने पर गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किया जाता है। अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि वह इस वाद में नियत अग्रिम तिथियों पर उपस्थित रहें।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
30.09.2022

<u>आदेश</u>

17<u>–03–2023</u>

अभियुक्त तनवीर की ओर से उसके विरूद्ध जारी जमानतीय वारन्ट निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि नियत दिनांक 09.03.2023 को उसकी पुत्री की तबीयत खराब होने के कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका था और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे पाया। उसकी अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी करने का आदेश पारित किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 09.03.2023 को अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र में स्वॅय की पुत्री को बीमार होन के कारण न्यायालय में उपस्थिति न होने का कथन किया गया है। अभियुक्त की ओर से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में दर्शाया गया आधार पर्याप्त है ।

अभियुक्त द्वारा 50,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र प्रस्तुत करने पर गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस वाद में नियत अग्रिम तिथियों पर उपस्थित रहें।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
17–03–2023

आदेश

04—02—2023

अभियुक्त प्रदीप की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मु0अ0सं0—73/22 धारा—379,411,420 भा0द0सं0 थाना मण्डी सहारनपुर के प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त प्रदीप की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र सं0—4599/2022 में प्रार्थी के पिता का नाम समन्दर अंकित हो गया है जबकि अभियुक्त प्रदीप के पिता का नाम संमुदपाल है। उक्त के अतिरिकत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश में पेज सं0—2 पर अभियुक्त का नाम प्रदीप के स्थान पर प्रदीन अंकित हो गया है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त के पिता का नाम समन्दर के स्थान पर समुन्दपाल संशोधित करने की अनुमति प्रदान करने तथा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांकित 10.10.2022 को भी उपरोक्तानुसार संशोधित करने की याचना की गयी है।

सुना तथा कार्यालय लिपिक की आख्या एवं जमानत प्रार्थना पत्र सं0—4599/2022 एवं उसके सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांकित 10.10.2022 का अवलोकन किया।

कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार उक्त जमानत प्रार्थना—पत्र में अभियुक्त की ओर से उसके पिता का नाम समन्दर अंकित है जबकि रिमाण्ड प्रपत्र में अभियुक्त के पिता का नाम समुन्दपाल अंकित है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश दिनांकित 10.10.2022 के अवलोकन से आदेश के पृष्ठ सं0—2 पर अभियुक्त का नाम प्रदीप के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश प्रदीन अंकित होना परिलक्षित है। तदनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। जमानत प्रार्थनापत्र में वान्छित संशोधन किया जाये। तदुपरान्त जमानत आदेश संशोधन हेतु पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
04—02—2023

<u>आदेश</u>

<u>23—11—2022</u>

प्रार्थी मनोज कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि निगरानी सं0—220/2021 के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 में लिपिकीय त्रुटि वश निगरानी संख्या—220/2021 के स्थान पर निगरानी सं0—220/2022 अंकित हो गया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से आदेश दिनांकित 16.11.2022 में निगरानी सं0—220/2022 को संशोधित कर निगरानी सं0—220/2021 अंकित कर, आदेश संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

सुना सुना तथा कार्यालय लिपिक की आख्या एवं निगरानी सं0—220/2021 मंगेराम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांकित 16.11.2022 का अवलोकन किया ।

कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार आदेश दिनांकित 16.11.2022 में निगरानी सं0—220/2021 के स्थान पर निगरानी सं0—220/2021 अंकित हो गया है। तदनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित 16.11.2022 को संशोधित करते हुए, निगरानी सं0—220/2022 के स्थान पर निगरानी सं0—220/2021 अंकित किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर।
23.11.2022

<u>आदेश</u>

<u>14—11—2022</u>

अभियुक्त शाहजेब की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मु0अ0सं0—233/22 धारा—380,457,411 भा0द0सं0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर के प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त शाहजेब की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र सं0—4457/2022 के सन्दर्भ में पारित जमानत आदेश दिनांक 30.09.2022 में टाईप की गलती से अभियुक्त का नाम शाहजेब के स्थान पर शाहबेज अंकित हो गया है। प्रार्थना—पत्र के माध्यम से जमानत प्रार्थना—पत्र सं0—4457/2022 के सन्दर्भ में पारित जमानत आदेश दिनांक 30.09.2022 में अभियुक्त का नाम संशोधित करने का अनुरोध किया है।

सुना तथा कार्यालय लिपिक की आख्या एवं जमानत प्रार्थना पत्र सं0—4457/2022 एवं उसके सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांकित 30.09.2022 का अवलोकन किया ।

कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार उक्त जमानत प्रार्थना—पत्र पर पारित आदेश दिनांकित 30.09.2022 में अभियुक्त का शाहजेब के स्थान पर शाहबेज अंकित हो गया है। तदनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। जमानत प्रार्थान—पत्र सं0—4457/2022 पर पारित आदेश दिनांकित 3.09.2022 में अभियुक्त का नाम शाहबेज के स्थान पर शाहजेब अंकित कर उक्त जमानत आदेश संशोधित किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
01—10—2022

<u>आदेश</u>

<u>01—10—2022</u>

अभियुक्त शाहजेब की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मु0अ0सं0—233/22 धारा—380,457,411 भा0द0सं0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर के प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त शाहजेब की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र सं0—4457/2022 के सन्दर्भ में पारित जमानत आदेश दिनांक 30.09.2022 में टाईप की गलती से अभियुक्त का नाम शाहजेब के स्थान पर शाहबेज अंकित हो गया है। प्रार्थना—पत्र के माध्यम से जमानत प्रार्थना—पत्र सं0—4457/2022 के सन्दर्भ में पारित जमानत आदेश दिनांक 30.09.2022 में अभियुक्त का नाम संशोधित करने का अनुरोध किया है।

सुना तथा कार्यालय लिपिक की आख्या एवं जमानत प्रार्थना पत्र सं0—4457/2022 एवं उसके सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांकित 30.09.2022 का अवलोकन किया ।

कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार उक्त जमानत प्रार्थना—पत्र पर पारित आदेश दिनांकित 30.09.2022 में अभियुक्त का शाहजेब के स्थान पर शाहबेज अंकित हो गया है। तदनुसार प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। जमानत प्रार्थान—पत्र सं0—4457/2022 पर पारित आदेश दिनांकित 3.09.2022 में अभियुक्त का नाम शाहबेज के स्थान पर शाहजेब अंकित कर उक्त जमानत आदेश संशोधित किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
01—10—2022

आदेश

20–03–2023

अभियुक्त नफीस की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मु0अ0सं0–413/2022 धारा–379,411 भा0द0सं0 थाना कुतुबशेर के प्रकरण में अभियुक्त के जमानत प्रार्थनपत्र में सहवन गलती से अभियुक्त का वर्तमान पता गादी उर्फ ग्यासरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत लिखने से रह गया था। जबकि अभियुक्त नफीस के जिला कारागार भेजे गये वारण्ट पर उसका वर्तमान पता दर्ज होने के कारण उसे जेल से रिहा नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से अभियुक्त नफीस की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0–713/2023 में अभियुक्त का वर्तमान पता गादी उर्फ ग्यासरी थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत अंकित करने की अनुमति प्रदान करने, जमानत प्रार्थनापत्र में उक्त संशोधन उपरान्त, उक्त सन्दर्भ में पारित जमानत आदेश दिनांकित 23.02.2023 में भी अभियुक्त का वर्तमान पता अंकित कर उसे संशोधित करने की याचना की गयी है।

सुना तथा कार्यालय लिपिक की आख्या एवं जमानत प्रार्थना पत्र सं0–713/2023 एवं उसके सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांकित 23.02.2023 का अवलोकन किया ।

कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार अभियुक्त नफीस की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में उसका वर्तमान पता अंकित नहीं है। तदनुसार प्रार्थनापात्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त नफीस की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0–713/2023 में वान्छित संशोधन अविलम्ब किया जाये। जमानत प्रार्थनापत्र वान्छित संशोधन अंकित करने के उपरान्त, जमानत आदेश संशोधन हेतु प्रस्तुत हो।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
20–03–2023

कार्यालय लिपिक की आख्या अनुसार मु0अ0सं0–633/2021 की एफ0आई0आर0 एवं अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जमानत खारजा आदेश में धारा–120बी अंकित है। अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र में भी अन्य धाराओ के साथ साथ धारा–120बी भा0द0सं0 अंकित की गयी है परन्तु जमानत प्रार्थना–पत्र पर पारित आदेश दिनांकित 13.09.2022 में टाईप की गलती से सहवन धारा–120बी भा0द0सं0 अंकित होने से रह गया है। तदनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। जमानत प्रार्थान–पत्र सं0–3945/2022 पर पारित आदेश दिनांकित 13.09.2022 में धारा–120बी भा0द0सं0 अंकित करते हुए, उक्त जमानत आदेश संशोधित किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
14–09–2022

आदेश

13–02–2023

अभियुक्तगण कलीम एवं तनवीर आजाद की ओर से गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थी न्यायालय के बाहर ही बैठा था, प्रार्थी के वाद में आवाज लगने पर उसे आवाज सुनाई न देने के कारण वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। उसकी अनुपस्थिति में वारन्ट आदेश पारित हो गये है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 07.09.2022 को अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसके विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट निर्गत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त वारन्ट आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवाज सुनाई न देने के कारण न्यायालय उपस्थिति न होने का कथन किया गया है। समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आधार पर्याप्त है ।

अभियुक्त प्रत्येक द्वारा 1,00,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र प्रस्तुत करने पर गैर जमानतीय वारन्ट आदेश निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह इस वाद में नियत अग्रिम तिथियों पर उपस्थित रहें।

सत्र न्यायाधीश,
सहारनपुर ।
08–09–2022

न्यायालय– श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।

सत्र परीक्षण सं0– 2848/2022

सरकार बनाम मनोज आदि

धारा–302,201,120बी भा0द0सं0
थाना–नागल सहारनपुर।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि उक्त सत्र परीक्षण में साक्षी सुभाष चन्द, अंकुर कुमार, रमेश पुत्र सागर घटना के महत्वपूर्ण साक्षीगण है, उक्त साक्षीगण का साक्ष्य इस मामले में अंकित कराया जाना आवश्यक है तथा पी0डब्लू0–1 तेलूराम जो मृतक के पिता है तथा पी0डब्लू0–8 विशाल श्रीवास्तव को मो0न0–8193863412 व 9720253073 व 9012909658 की दिनांक 18.08.2022 की सुबह 09 बजे से सांय 07 बजे तक की लोकेशन रिकार्ड के साथ व साक्षी पी0डब्लू0–9 देशराज सिंह को मु0अ0सं0–194/2022 थाना नागल से सम्बन्धित दिनांकित 21.08.2022 की जी0डी0 के साथ पुनः साक्ष्य हेतु तलब किया जाना आवश्य है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि उपरोक्त साक्षीगण को साक्ष्य हेतु उपरोक्त वर्णित रिकार्ड के साथ तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0)
सहारनपुर।